भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3544
11.08.2025 को उत्तर के लिए

मानव-हाथी संघर्ष के लिए एसओपी

3544. श्रीमती जून मालियाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हाथियों के प्रवास और संघर्ष के तौर-तरीकों और कारणों के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन में अनुपालन हेतु राज्यों के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अथवा राष्ट्रीय ढांचा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार संवेदनशील वन-सीमांत क्षेत्रों में वन्य जीवों के अतिक्रमण के कारण फसलों और आजीविका को हुई हानि के लिए समुदाय आधारित मुआवजा और बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) के उपशमन और प्रबंधन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेवारी है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें विभिन्न माध्यमों से सूचना का प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और स्थानीय लोगों को मानव-पशु संघर्ष से बचने, मानव जीवन, संपत्ति और हाथियों को होने वाले नुकसान या क्षति को रोकने के लिए आगाह करने हेतु स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्यजीव स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्षों से निपटने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण (2023) अपनाते हुए मानव-हाथी संघर्ष उपशमन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, 29 अप्रैल, 2022 को संचालन समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए फील्ड मैनुअल भी जारी किया गया था।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की क्षतिपूर्ति योजनाओं के अतिरिक्त, मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्र प्रायोजित योजना, बाघ एवं हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुग्रह राहत के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

****